

09/21 पत्रावली पेश हुई। बकील बादी उपस्थित। अधिवक्ता ने
चलुपुत्रि गुर्जर ने प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से बकाया
प्रस्तुत कर बकाया का निवेदन किया। उभयपक्ष ने बकाया
बाद बादी इसी स्टेज पर प्राथमिक डिडी किये जाने का
निवेदन किया। उभयपक्ष की सहमति के आधार पर बाद
बादी प्राथमिक डिडी किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा
जाया जो शामिल मिसल है। तहसीलदार, पीपलू को तकासा
रिपोर्ट तैयार कर भिजाने हेतु तस्दीर जारी हो। पत्रावली
दिनांक 29.10.2021 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (ऑ.क)

26/10/2021 पत्रावली कैम्प कोर्ट नाम्ने से आज दिनांक को पेश हुई।
उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। तकासा रिपोर्ट प्राप्त। उभयपक्ष
उपस्थित। उभयपक्ष ने तकासा रिपोर्ट से सहमत होते हुए
बाद बादी डिडी किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत
तकासा रिपोर्ट व पत्रावली का अनमोहन किया गया। उभयपक्ष
की सहमति के आधार पर कैम्प कोर्ट की मजना से बाद
बादी डिडी किया जाता है। आदेश पृथक से जारी किया
जाया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो
एवं निम्नानुसार नम्बर से कम हो।

शिवि पंजारी
उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (ऑ.क)